न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **114/2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी हनुमान कॉलोनी शास्त्रीनगर भीलवाडा ––अपीलार्थी	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 22.01.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 20.12.2018 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 41 एफ 425226 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 28.11.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.11.2018 की प्रति अपील मेमों के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 24.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सू.अ./2019/274 दिनांक 14.01.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 28.11.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि "अपीलार्थी के आवेदन में चाही गयी सूचना में बिन्दू सं. 1 व 2 की सूचना का संबंध अति. जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाडा के क्षैत्राधिकार का होने के कारण पत्रांक/सूअ/2018/9917–18 दिनांक 14.12.2018 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अन्तरित करते हुये अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित किया है। बिन्दू सं. 3 व 4 के संबंध में पत्रांक/सूअ/2018/9976 दिनांक 18.12. 2018 द्वारा अपीलार्थी को पत्र प्रेषित कर सूचना दी गयी। अपीलार्थी को चाही गयी सूचना प्रेषित कर दिये जाने से उक्त अपील निरस्त/खारिज योग्य है।"

अपीलार्थी ने अपील के संबंध में लिखित परिकथन प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया हैं कि ''प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2018 के बिन्दू सं. 2 की आंशिक सूचनाओं के 2 पृष्ठों की सूचनायें दिनांक 28.12.2018 को उपलब्ध करा दी गयी है। अवशेष सूचनायें बिना प्रभार के प्रदान करने हेतु आदेश प्रसारित करने की प्रार्थना की हैं।''

अपीलार्थी के सूचना अधिकार प्रार्थना पत्र एवं प्रत्यर्थी के जवाब के परीक्षण अनुसार अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2018 के बिन्दू सं. 01 की सूचना हेतु प्रत्यर्थी के द्वारा 6(3) के अन्तर्गत दिनांक 14.12.2018 को अति. जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को अन्तरित की गयी। अन्तरण भी प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2018 से अन्तरण अवधि 5 दिवस के पश्चात दिनांक 14.12.2018 को की गयी जो प्रावधान के विपरीत हैं एवं बिन्दू सं. 1,3 व 4 की सूचना भी नहीं दी जाना प्रकट होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्रानुसार बिन्दू सं. 01, 03,व 04 की सूचना एवं बिन्दू सं. 02 की पूर्ण सूचना निर्णय प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराकर पालना से अवगत करावें । निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा